भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न सं. 2786

बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>निजामसागर पावर हाउस के आधुनिकीकरण हेतु निधि</u>

2786. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी:

श्री इटेला राजेंदर: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से वित्तीय सहायता योजना के तहत केन्द्र सरकार को निजामसागर पावर हाउस (2x5 मेगावाट) के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है जिसके अंतर्गत मरम्मत और अनुरक्षण (आर एंड एम) व्यय का 50 प्रतिशत एमएनआरई द्वारा अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीजीजीईएनसीओ) निधियों से सिविल मरम्मत और अनुरक्षण (आर एंड एम) कार्यों तथा विद्युत और मैकेनिकल (ई एंड एम) कार्यों हेतु 90 प्रतिशत भुगतान सीएफए (केंद्रीय वित्तीय सहायता) के रूप में वित्तपोषित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में स्वीकृत और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क), (ख) एवं (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने निज़ामसागर पावर हाउस के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के लिए 5.38 करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के साथ तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (टीएसजीईएनसीओ), जिसे अब तेलंगाना पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीजीजीईएनसीओ) के नाम से जाना जाता है, को दिनांक 07.07.2017 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कुल अनुमानित लागत 10.76 करोड़ रुपये है। आर एंड एम परियोजना को पूरा करने के लिए परियोजना अवधि के विस्तार की स्वीकृति दिनांक 10.11.2027 तक दी गई है। वर्तमान स्थिति तक, निज़ामसागर पावर हाउस के आर एंड एम के लिए टीजीजीईएनसीओ को कोई निधियां (राशि) जारी नहीं की गई है।
